


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: आदेश ::

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.4/एफ.डी./रूल्स/07 दिनांक 12.09.2008 के अन्तर्गत, एव पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के प्रावधानुसार असलम खान सहायक निदेशक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को किराये के मकान/स्वयं के मकान में रहने की तिथि/आवेदन तिथि से जो कि उनके नाम के सामने अंकित की गई है, से मूल वेतन का 16 प्रतिशत (सौलह प्रतिशत) मकान किराया भत्ता आहरण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी मय पदस्थापन स्थान	आवेदन करने की तिथि	मूल वेतन	मकान भत्ता किराया स्वीकृति तिथि
1	असलम खान सहायक निदेशक कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।	24.08.2018	69300	21.08.2018



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर


क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-2/असलम खान/2018

दिनांक : 10-09-2018

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अनुभाग अधिकारी रोकड़ अनुभाग दो प्रतियों में
2. असलम खान सहायक निदेशक कार्यालय हाजा
3. गार्ड/रक्षित पत्रावली।

 अनुभाग अधिकारी
शिविरा/मा/संस्था


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर